72/2021/1/78491/2021-आर0एम0-23/2016

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 09 जुलाई, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के नवीन परिसर, गोमतीनगर विस्तार योजना के प्रथम चरण के निर्माण कार्यो की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1508/डा0रा0म0लो0आ0सं0/विद्युत/2020 दिनांक 17 जुलाई, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना में विद्युत संयोजन हेतु पुनरीक्षित आगणन रू0 6,41,22,503.00 की स्वीकृति प्रदान करते हुए लेसा को देय अवशेष धनराशि रू0 4,91,22,503.00 अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के नवीन परिसर, गोमतीनगर विस्तार योजना के प्रथम चरण के निर्माण कार्यो की प्रायोजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत के क्रम में शासनादेश संख्या-21/2018 /705/71-2-2017-आर0एम0-23/2016, दिनांक 19.02.2018 द्वारा रू0 18014.20 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

3- प्रायोजना की मूल स्वीकृति वर्ष 2015 के कुर्सी क्षेत्रफल की दरों पर आधारित थी। दरों में वृद्धि एवं अन्य कार्य मदों में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि होने के फलस्वरूप व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 16-11-2019 में प्रायोजना की लागत में परिवर्तन अनुमन्य किया गया। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-60/2019/2828/71-2-19-आर0एम0-23/2016 दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 द्वारा रू0 19972.24 लाख + (जी0एस0टी0 नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी।

4- प्रश्नगत प्रायोजनान्तर्गत मूल स्वीकृत लागत में वाहय विद्युत संयोजन हेतु रू0 150.00 लाख अनुमन्य किया गया था। प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत पर विचार करते हुए व्यय वित्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समिति की बैठक दिनांक 16-11-2019 में वाहय विद्युत संयोजन हेतु प्रथम फेज के लोड के आधार पर अनुमन्य किये जाने के निर्देश दिये गये।

5- प्रकरण में निदेशक, संस्थान के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 10 जुलाई, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहय विद्युत संयोजन के पुनरीक्षित आगणन के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के नवीन परिसर, गोमतीनगर विस्तार योजना के प्रथम चरण के निर्माण कार्यो (सिविल + विद्युत) की प्रायोजना हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 2,04,50,17,357 लाख (दो अरब चार करोड पचास लाख सत्रह हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) + (जी0एस0टी0 नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1) संस्थान एवं कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)2 के शासनादेश दिनां 26-08- निर्देशों का-में उल्लिखित दिशा 2014पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2) पुनरीक्षण के संबंध में वित्त -यक अनुभागव्य-आय)1 के कार्यालय22ज्ञाप दिनांक --03- का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।वस्थामें दी गयी व्य 2021
3) संस्थान एवं कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय वित्त समितिकी शर्तो 0डी0ए0एफ0पी/ का अनुपालन सुनिश्चित किय जाएगा तथा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में लगाई गई शर्तो का उल्लेख किया जाएगा।
4) संस्थान एवं कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान की होगा।
5) निदेशक, संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में - स्रोत से धनराशि स्वी/ योजनासम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्यकृत नहीं की गयी है।
6) निदेशक, संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
7) प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त यथावत रहेंगे।प्रतिबन्ध/
8) प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जायेंगे।
9) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
10) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/318/2021-2022 दिनांक 07 जुलाई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5) वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6) परियोजना प्रबन्धक (सिविल/विद्युत), उ0प्र0रा0नि0नि0लि0 लखनऊ।
7) वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।